vinetur

फ्रांस के सांसदों ने सशुल्क वाइन-पर्यटन चखने के आयोजनों के लाइसेंस नियमों में ढील देने का विधेयक पेश किया

अलग विधेयक के जरिए उन उपायों को फिर से पेश किया गया है जिन्हें संवैधानिक परिषद ने इस साल प्रक्रियागत आधार पर रद्द किया था।

शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026



फ्रांस के मध्यमार्गी गुट के सांसदों ने नेशनल असेंबली में एक विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य वाइन पर्यटन और स्पिरिट्स पर्यटन से जुड़े कुछ सशुल्क चखने के आयोजनों के लाइसेंस नियमों में ढील देना है। इसमें उन उपायों को फिर से शामिल किया गया है जिन्हें इस साल की शुरुआत में संवैधानिक आधार पर हटा दिया गया था।

Agra Presse और विधेयक के व्याख्यात्मक पाठ के अनुसार, 6 अक्टूबर को पेश इस प्रस्ताव का मकसद उन वाइनरी, डिस्टिलरी और अन्य पर्यटन स्थलों के नियमों को सरल बनाना है, जहां चखने के आयोजन होते हैं या आगंतुक आते हैं। इसके तहत सांस्कृतिक, पर्यटन या स्थानीय प्रचार के उद्देश्य से आयोजित कुछ सशुल्क चखने के कार्यक्रमों को पेय पदार्थ

बिक्री लाइसेंस रखने की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।

यह उपाय उस क्षेत्र से जुड़ा है जिसका महत्व उन उत्पादकों के लिए बढ़ा है जो अंगूर के बागों, तहखानों और डिस्टिलरी में आगंतुकों को आकर्षित करना चाहते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में पर्यटन, बोतलों की बिक्री से होने वाली आय के अलावा अतिरिक्त कमाई का जरिया बन सकता है। बदलाव मंजूर होने पर उन व्यवसायों के लिए कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें कम हो सकती हैं जो अपने कारोबारी मॉडल में गाइडेड टूर और चखने के आयोजनों को शामिल करते हैं।

विधेयक में आम लोगों के लिए खुले डिस्टिलरी स्थलों और स्पिरिट्स उत्पादन से जुड़े संग्रहालय-शैली के आगंतुक मार्गों के लिए एक अलग प्रावधान भी है। इन स्थलों को अपवादस्वरूप License IV प्राप्त करने की अनुमति होगी। फ्रांस में इस परमिट के तहत अधिक तेज़ अल्कोहल वाले पेय बेचे जा सकते हैं। व्याख्यात्मक वक्तव्य के अनुसार, ये लाइसेंस नगरपालिका कोटे में नहीं गिने जाएंगे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस उपाय के कारण उसी इलाके में पारंपरिक बार खुलने पर रोक न लगे।

एक अन्य बदलाव के तहत, प्रस्ताव अस्थायी पेय बिक्री केंद्रों के नियमों में ढील देगा और मौसमी आयोजनों को स्पष्ट रूप से इनके दायरे में शामिल करेगा। कुछ शर्तों के तहत इन आयोजनों में फ्रांस के पेय पदार्थों के चौथे और पांचवें समूह में आने वाले अल्कोहल बेचे जा सकेंगे। इन श्रेणियों में अधिक तेज़ पेय शामिल हैं। विधेयक स्पिरिट्स उत्पादकों को बाजारों में सीधे बिक्री की अनुमति भी देगा। मौजूदा नियमों के तहत वाइन उत्पादकों और बीयर निर्माताओं को पहले से यह अधिकार है।

इस विधेयक में ये विचार पहली बार नहीं आए हैं। Agra Presse के अनुसार, यही सभी प्रावधान फ्रांस के आर्थिक जीवन को सरल बनाने वाले मई 2026 के कानून में पहले भी शामिल किए गए थे। लेकिन संवैधानिक परिषद ने उन्हें उनकी विषयवस्तु के कारण नहीं, बल्कि इसलिए रद्द किया कि उसने पाया कि उन्हें विधेयक के दायरे से बाहर के विधायी प्रावधानों के रूप में कानून में जोड़ा गया था।

यह पृष्ठभूमि बताती है कि सांसद वाइन पर्यटन और स्पिरिट्स पर्यटन पर केंद्रित अलग विधेयक लेकर फिर क्यों लौटे हैं। उपायों को एक समर्पित विधेयक में अलग रखकर, समर्थक संसद में उनके लिए अधिक स्पष्ट कानूनी रास्ता बनाने की कोशिश करते दिखते हैं।

यह पहल ऐसे समय में आई है जब पेय उद्योग के उत्पादक आय के स्रोतों में विविधता लाने और उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क मजबूत करने के लिए पर्यटन गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं। वाइनरी, डिस्टिलरी और कुछ स्थानीय पर्यटन संचालकों के लिए चखने के आयोजनों, बाजारों में बिक्री और आगंतुकों से जुड़े लाइसेंस हासिल करना आसान होने से उत्पादन स्थलों को पर्यटन केंद्रों में बदलना सरल हो सकता है। ऐसा होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संसदीय प्रक्रिया के दौरान विधेयक का कितना हिस्सा बरकरार रहता है और सांसद पर्यटन को बढ़ावा देने तथा फ्रांस के अल्कोहल नियंत्रण नियमों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं या नहीं।

प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई नेशनल असेंबली के विधायी कैलेंडर के अनुसार तय होगी। Agra Presse की रिपोर्ट में इसे मंजूरी मिलने की कोई तारीख नहीं बताई गई थी।